समक्ष माननीय उच्च न्यायलय मध्य प्रदेश, जबलपुर

दांडिक अपील क्रमांक. 729/1991

अपीलार्थीगण

1. दौलतराम पुत्र भुखीराम सतनामी, उम्र 43 वर्ष,
   निवासी ग्राम टेंगनापाली, पी.एस. सारंगढ़,
   जिला रायगढ़ (म.प्र.)

2. महेश राम, पुत्र दौलत राम, उम्र लगभग 20 वर्ष,
   निवासी ग्राम टेंगनपाली, थाना सारंगढ़,
   जिला रायगढ़ (म.प्र.)

–:विरुद्ध:–

उत्तरवादीगण

मध्य प्रदेश राज्य,
द्वारा थाना सारंगढ़
जिला रायगढ़.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दोषसिद्धि : भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत

दंडादेश : आजीवन कारावास

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अंतर्गत दांडिक अपील

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर
दांडिक अपील क्रमांक. 729/1991

दौलतराम एवं एक अन्य

विरुद्ध

मध्यप्रदेश राज्य (वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य)

विचारार्थ निर्णय

सही/–
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री न्यायमूर्ति फखरुद्दीन

सही/–
फखरुद्दीन
न्यायमूर्ति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर
दांडिक अपील क्रमांक. 729/1991

दौलतराम एवं एक अन्य

विरुद्ध

मध्यप्रदेश राज्य (वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य)

कोरम:– माननीय श्री फखरुद्दीन, न्यायमूर्ति एवं

माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायमूर्ति

श्री विवेक रंजन तिवारी, अधिवक्ता वास्ते अपिलार्थीगण।

श्री आशीष शुक्ला, शासकीय अधिवक्ता / अतिरिक्त लोक अभियोजक वास्ते राज्य/शासन।

निर्णय

(दिनांक 26–09–2005 को पारित)

दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह अपील, श्री आर.बी. सिंह, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 152/90 में दिनांक 13 जुलाई 1991 को पारित निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपिलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत भुखीराम की हत्या कारित करने के अपराध में दोषी ठहराया गया तथा उन्हें आजीवन कारावास से दोषित किया गया। उक्त हत्या ग्राम टेंगनापाली, थाना सरंगढ़, जिला रायगढ़ में दिनांक 19/20 जुलाई 1990 की रात्रि में कारित हुई थी।

2. संक्षेप में अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि मृतक, अपीलार्थी दौलतराम का पिता था। अपीलार्थी महेशराम, दौलतराम का पुत्र है। चूंकि अपीलार्थी दौलतराम की माता का देहांत हो चुका था, इसलिए भुखीराम अपने घर में अकेले रहता था। अपीलार्थी का भाई लक्ष्मण (अ.सा.10) तथा उसकी पत्नी ध्वजाबाई (अ.सा.3) मृतक की देखभाल किया करते थे। दिनांक 20.07.1990 को जब ध्वजाबाई (अ.सा.3) मृतक के घर गई, तो उसने देखा कि भुखीराम खून से लथपथ अवस्था में फर्श पर मृत पड़ा था तथा उसके सिर पर चोट के निशान थे। यह दृश्य देखकर वह चीखने चिल्लाने लगी। चीख–पुकार सुनकर अपीलार्थीगण भी वहां पहुँचे एवं उन्होंने भी भुखीराम का शव देखा। उन्होंने यह भी पाया कि भुखीराम की बैंक जमा संबंधी कागजात सड़क पर बिखरे पड़े थे।

3. अपीलार्थी क्र. 1 दौलतराम तत्काल थाना सारंगढ़ गया एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी–25) दर्ज करवाई। मर्ग सूचना (प्रदर्श पी–26) प्रातः 7:45 बजे लेखबध की गई। उप निरीक्षक मुकेश खरे द्वारा उसी दिन घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा (प्रदर्श पी–3) तैयार किया गया। भुखीराम के शव को **शव परीक्षण** के लिए भेजा गया। डॉ. जे.एन. शुक्ला (अ.सा.11) द्वारा मृतक के शरीर शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई गईं:

(क) दाहिनी ओर गर्दन के मध्य भाग में, मध्य रेखा के ठीक दाईं ओर, तीन रेखीय खरोंचें तिरछी दिशा में पाई गईं, जो आपस में मिली हुई थीं तथा प्रत्येक की लंबाई लगभग 0.5 से.मी. थी।

(ख) गर्दन के बाईं ओर मध्य भाग की त्वचा पर एक रेखीय खरोंच तिरछी दिशा में पाई गई, जो मध्य रेखा तक जाती थी, जिसकी लंबाई लगभग 1 से.मी. थी।

(ग) बाईं ओर गर्दन की त्वचा के अग्र–पार्श्वीय भाग में, बाएं जबड़े के कोने के ठीक नीचे, एक तिरछी खरोंच पाई गई, जिसका क्षेत्रफल लगभग 0.5 से.मी. × 0.5 से.मी. था, तथा उसमें एक भाग पर जमे हुए रक्त का चिन्ह दिखाई दिया।

(4) दाहिनी ओर गर्दन के अग्र भाग में, दाएं जबड़े के कोने के नीचे, एक तिरछी दिशा में खरोंच पाई गई, जिसकी लंबाई लगभग 1 से.मी. थी।

(5) गर्दन की दाहिनी त्वचा पर, दाएं कॉलर बोन के ऊपर, एक तिरछी रेखीय खरोंच पाई गई, जिसकी लंबाई लगभग 1 से.मी. थी।

(6) माथे के केंद्र में एक कटा हुआ घाव पाया गया, जिसका माप 04 से.मी. x 02 से.मी. x हड्डी तक गहरा था, जिसमें जमा हुआ रक्त उपस्थित था।

(7) एक कटा हुआ, जो मध्य रेखा को पार कर रहा था, चोट क्रमांक 6 के ऊपर स्थित पाया गया, जिसका माप 04 से.मी. x 02 से.मी. x हड्डी तक गहरा था, तथा उसमें जमा हुआ रक्त उपस्थित था।

(8) खोपड़ी के बाएं पार्श्वीय भाग में एक तिरछा कटा हुआ पाया गया, जो मध्य रेखा की ओर जा रहा था, जिसका माप 06 से.मी. x 03 से.मी. x हड्डी तक गहरा था, तथा उसमें जमा हुआ रक्त उपस्थित था।

(9) खोपड़ी के बाएं पार्श्वीय भाग में, पीछे की ओर एक तिरछा कटा हुआ पाया गया, जिसका माप 02 से.मी. x 02 से.मी. x हड्डी तक गहरा था, तथा उसमें जमा हुआ रक्त उपस्थित था।

(10) खोपड़ी के बाएं पार्श्वीय भाग में, पीछे की ओर जाते हुए टेम्पोरल क्षेत्र तक एक तिरछा कटा हुआ घाव पाया गया, जिसका माप 02 से.मी. x 02 से.मी. x हड्डी तक गहरा था, तथा उसमें जमा हुआ रक्त उपस्थित था।

(11) एक तिरछा कटा हुआ, जो पीछे की ओर जा रहा था, पाया गया, जिसका माप 07 से.मी. x 03 से.मी. x हड्डी तक गहरा था। घाव के चारों ओर मोटी रक्त की परतें जमी हुई थीं। घाव के बाहर हड्डी के टुकड़े भी दिखाई दिए, तथा यह घाव लगभग तिरछी अग्र–पृष्ठीय दिशा में स्थित था।

शव विच्छेदन पर पाया गया बाईं तरफ के टेम्पोरल हड्डी में "गहरा अस्थि भंग, जो टेम्पोरो–पैरीटल स्युटर जोड़ तक गया था। कुछ हड्डियों के टुकड़े मस्तिष्क के ऊतक के भीतर चले गए थे। बाईं ओर टेम्पोरल तथा पैरीटल क्षेत्र के नीचे की झिल्ली में कंजेशन पाई गई। मस्तिष्क को बाईं टेम्पोरल दिशा में क्षति पहुँची थी और टेम्पोरल तथा पैरीटल ब्रेन मैटर में कंजेशन पाई गई। डॉ. जे.एन. शुक्ला (अ.सा.11) के मतानुसार, मृत्यु का कारण सिर की चोटों के परिणामस्वरूप कोमा होना था। मृत्यु की प्रकृति हत्यातमक थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. विवेचना के दो दिन पश्चात् उपनिरीक्षक मुकेश खरे द्वारा अपिलार्थीगण दौलतराम एवं महेशराम के मेमोरेंडम कथन क्रमशः प्रदर्श पी–4 एवं पी–5 लेखबद्ध किया गया। अपिलार्थी दौलतराम के कथन के आधार पर एक पुरानी काली रंग की हाफ पैंट, जिस पर रक्त जैसे धब्बे पाए गए, प्रदर्श पी–6 तथा हीरा पन्ना कंपनी की एक हाफ बनियान, जिस पर भी रक्त जैसे धब्बे थे, प्रदर्श पी–7 के अंतर्गत जब्त की गई। अभियुक्त महेशराम से एक लोहे का बिंधना एवं एक पुरानी फटी हुई लुंगी, जिस पर रक्त जैसे धब्बे पाए गए, प्रदर्श पी–8 के तहत जब्त किये गए । घटनास्थल से रक्तरंजित मिट्टी एवं साधारण मिट्टी, एक सूती गमछा, टॉर्च एवं एक चड्डी प्रदर्श पी–9 के अंतर्गत जब्त किये गए। एक टीन का डिब्बा एवं एक पुराना ताला, जिसमें चाबी अंदर लगी थी, प्रदर्श पी–10 के अंतर्गत जब्त किया गया। मृतक द्वारा पहनी गई धोती भी प्रदर्श पी–11 के तहत जब्त की गई। सारंगढ़–रायगढ़ रोड पर 50 से 60 किलोमीटर के मध्य एक रक्त जैसे धब्बों वाली सूती धोती, एक अन्य सूती धोती, एक साड़ी, एक मनी बैग, एक राष्ट्रीय ध्वज, एस.बी.आई. का एक प्लास्टिक फोल्डर एवं एक फटा हुआ विक्रय पत्र , जो सड़क पर बिखरे हुए पाए गए थे, प्रदर्श पी–13 के अंतर्गत जब्त किए गए। जप्तशुदा बिंधना, एक टेरिकॉट फुल शर्ट एवं लुंगी अपिलार्थी महेश से तथा एक काली हाफ पैंट एवं हीरा पन्ना कंपनी की हाफ बनियान अपिलार्थी दौलतराम से, रक्तरंजित मिट्टी, साधारण मिट्टी एवं घटनास्थल से जब्त अन्य वस्तुओं सहित, सभी सामग्री को परीक्षण हेतु न्यालीक भेजा गया। प्रदर्श पी–30 के अनुसार, साधारण मिट्टी को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं पर रक्त की उपस्थिति की पुष्टि हुई। हालांकि अभियोजन द्वारा सेरोलॉजिस्ट की रिपोर्ट प्राप्त नहीं की जा सकी। विवेचना पूर्ण होने के उपरांत अपिलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अधीन अभियोजन चलाया गया। अपिलार्थी ने आरोप से इंकार किया, और अपने निर्दोष होने का अभिवचन किया गया एवं बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। अभियोजन द्वारा कुल 16 साक्षियों का परीक्षण कराया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपिलार्थी महेश से बिंधना, लुंगी एवं बनियान की जब्ती, अपिलार्थी दौलतराम से हाफ पैंट एवं हाफ बनियान की जब्ती, अभियुक्तगण के कथनों के आधार पर की गई उक्त वस्तुओं की बरामदगी, फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट द्वारा उन पर रक्त की उपस्थिति की पुष्टि, अपिलार्थी महेश से जब्त आयुध के संबंध में डॉक्टर जे.एन. शुक्ला (अ.सा.11) की राय तथा मृतक भूखीराम की हत्या के लिए अभियुक्तगण के पास विद्यमान हेतुक संबंधी साक्ष्यों का अविलम्ब अभियुक्तगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत दोषसिद्ध कर उपर्युक्तानुसार दंडित किया।

5. अपिलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत अपिलार्थीगण का अपराध साबित करने हेतु अभिलेख पर कोई भी विधिसम्मत या विश्वसनीय साक्ष्य इस प्रकार नहीं है जिससे संदेह से परे अपिलार्थीगण का दोष प्रमाणित किया जा सके। एस.बी.आई., सारंगढ़ द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र प्रदर्श पी–23 से भी यह स्पष्ट होता है कि मृतक भूखीराम के बचत खाते में मात्र ₹1006.80 की शेष राशि थी। डॉ. शुक्ला (अ.सा.11) की चिकित्सीय साक्ष्य, विशेष रूप से बिंधना वस्तु 'क' पैरा 10 में, यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि मृतक भूखीराम को प्राप्त करीत कटा हुआ घाव अपिलार्थी महेश से जब्त किए गए बिंधना वस्तु 'क' से करीत नही किये जा सकते की । साथ ही यह भी तर्क दिया गया कि अपिलार्थीगण के कथन के

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

आधार पर जब्त वस्तुओं पर जो धब्बे पाए गए, वे मानव रक्त के हैं, इस बात को प्रमाणित करने हेतु कोई सीरम विज्ञान की राय अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर संदेह व्यक्त करते हुए यह तर्क दिया गया कि उक्त साक्ष्य अपिलार्थीगण की निर्दोष की संभावना को निरस्त नहीं करते हैं तथा अभियुक्तगण के अपराध सिद्ध होने की धारणा के साथ पूर्णतः असंगत हैं। इस सन्दर्भ में मध्य प्रदेश राज्य बनाम कृपाराम, (2003) 12 सुप्रीम कोर्ट केसेज़ 675, मामले का अभिलेख लिया की । इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन करते हुए अपने पक्ष में तर्क प्रस्तुत किए।

6. हमने परस्पर विरोधी तर्कों को सुना। हमने अभिलेख का भी परिशीलन किया। अभियोजन का सम्पूर्ण मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। अभियोजन द्वारा अभियुक्तों पर अपराध सिद्ध करने हेतु निम्नलिखित परिस्थितियों पर विश्वास किया गया है:

(क) अपिलार्थीगण महेशराम से जप्त की गई एक लोहे की बिंधना, वस्तु 'क' तथा एक लुंगी जिसमें रक्त सदृश धब्बे पाए गए, प्रदर्श पी–8 के अनुसार;

(ख) अपिलार्थीगण दौलतराम से जप्त की गई एक पुरानी काली रंग की हाफ पैंट, प्रदर्श पी–6 के अनुसार, तथा हीरा पन्ना ब्रांड की एक हाफ बनियान जिसमें रक्त सदृश धब्बे पाए गए, प्रदर्श पी–7 के अनुसार; तथा

(ग) अभियुक्तों द्वारा भुखीराम की हत्या करने करने के लिए हेतुक।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के मूल्यांकन से संबंधित विधि सुव्यवस्थित एवं स्थापित है। *धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य*, (1994) 2 SCC 220 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के मूल्यांकन से संबंधित विधि इस प्रकार स्थापित की है:

> "जब कोई मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित होता है, तो जिन परिस्थितियों से अभियुक्त के दोषसिद्ध होने की निष्कर्ष निकाली जानी है, उन्हें न केवल पूर्ण रूप से सिद्ध किया जाना चाहिए, बल्कि वे सभी परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिएं और केवल अभियुक्त के दोष की धारणा के अनुरूप ही होनी चाहिएं। ऐसी परिस्थितियाँ किसी अन्य धारणा से, सिवाय अभियुक्त के दोष के, समझाई नहीं जा सकनी चाहिएं तथा साक्ष्यों की शृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि वह अभियुक्त की निर्दोषता की धारणा के अनुरूप किसी भी युक्तिसंगत संदेह की संभावना को समाप्त कर दे। यह दोहराने की आवश्यकता नहीं कि केवल न्यायालय की भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि विधिक रूप से सिद्ध परिस्थितियाँ ही दोषसिद्धि का आधार बन सकती हैं, और अपराध जितना गंभीर हो, साक्ष्यों की छानबीन में उतनी ही अधिक सतर्कता बरती जानी चाहिए ताकि संदेह प्रमाण का स्थान न ले ले।"

8. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत को लागू करते हुए, हमने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया है। जहाँ तक

अभियुक्तों द्वारा भुखीराम की मृत्यु कारित करने के लिए हेतुक से संबंधित साक्ष्य का प्रश्न है, ध्वजा बाई (अ.सा.3) तथा डेरीहा (अ.सा.2) की का साक्ष यह दर्शाती है कि अपिलार्थी अपने पिता से सम्बन्ध अच्छे नही देते पुनीराम (अ.सा.1) ने यह बयान दिया है कि अपिलार्थी और भुखीराम के बीच संबंध सामान्य थे, किंतु वे आपस में बातचीत नहीं करते थे। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि अपिलार्थीगण की दृष्टि भुखीराम के पास रखे गए नगदी या आभूषणों पर थी, लक्ष्मण (अ.सा.10) ने भले ही यह कहा हो कि भुखीराम के पास कुछ आभूषण थे, परंतु अभिलेख में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि भुखीराम के पास जो आभूषण थे, वे चोरी हुए अथवा अभियुक्तों से बरामद किए गए। भारतीय स्टेट बैंक का प्रमाण पत्र (अ.सा.23) भी यह दर्शाता है कि भुखीराम के खाते में मात्र ₹1006.80 पैसे थे, जिससे इस आधार पर हत्या का कोई हेतुक नहीं पाया जाता। यद्यपि लक्ष्मण (अ.सा.10) ने यह भी कहा है कि उसे अपिलार्थीगण और भुखीराम के बीच किसी भी प्रकार के पैसों के विवाद की जानकारी नहीं है। केवल यह तथ्य कि अपिलार्थी दौलतराम और भुखीराम आपस में बातचीत नहीं करते थे, इस बात को सिद्ध नहीं करता कि दौलतराम ने अपने पिता की हत्या करने का कोई हेतुक स्थापित होता हो। जहाँ तक अपिलार्थी महेश का संबंध है, तो इस बात का कोई भी संकेत नहीं मिलता कि उसके पास अपने दादा भुखीराम की हत्या करने का कोई हेतुक था। अतः अभिलेख में ऐसा कोई ठोस अथवा विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है जो यह सिद्ध कर सके कि अभियुक्तों के पास भुखीराम की हत्या करने का कोई हेतुक था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. जहाँ तक अपिलार्थी महेशराम से वस्तु 'क' बिंधना, एक टेरीकॉट की फुल शर्ट तथा एक फटी हुई लुंगी की बरामदगी (प्रदर्श पी–8 के अनुसार) तथा अपिलार्थी दौलतराम से एक काली हाफ पैंट एवं हीरा पन्ना कंपनी की एक हाफ बनियान की बरामदगी (प्रदर्श पी–6 एवं पी–7 के अनुसार) का प्रश्न है, अन्वेषण अधिकारी उप–निरीक्षक मुकेश खरे (अ.सा.16) ने यह नहीं बताया है कि उन्हें किन तथ्यों या सूचनाओं के आधार पर अपिलार्थी के कथन लेखबद्ध कर उनकी निशानदेही पर उक्त वस्तुओं की बरामदगी की गई। मुकेश खरे (अ.सा.16) दिनांक 20 जुलाई 1990 से ग्राम टेंगनापाली में शिविर लगाए हुए थे, जो कि अपिलार्थी दौलतराम द्वारा की गई त्वरित प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर था। उन्होंने यह नहीं बताया कि विवेचना के दौरान उन्होंने ऐसा कोई तथ्य एकत्रित किया हो, जिससे संदेह की सूई अभियुक्तों की ओर इंगित करती हो।

10. अभियोजन पक्ष ने नन्हूराम (अ.सा.5) एवं ईश्वर (अ.सा.8) का साक्ष्य प्रस्तुत की है, जिन्होंने उप–निरीक्षक मुकेश खरे (अ.सा.16) की उन वस्तुओं की बरामदगी से संबंधित साक्ष्य की पुष्टि की है, जो अपिलार्थी से की गई थीं। जहाँ तक अभियुक्त महेश से लोहे की बिंधना, टेरीकॉट की फुल शर्ट तथा फटी हुई लुंगी तथा अपिलार्थी दौलतराम से काली हाफ पैंट एवं सूती हाफ बनियान की बरामदगी (प्रदर्श पी–6 एवं पी–7 के अनुसार) का प्रश्न है, उप–निरीक्षक मुकेश खरे (अ.सा.16) ने अपने साक्ष्य में यह नहीं कहा है कि इन वस्तुओं को प्रदर्श पी–6 एवं पी–7 के अंश जब्त करने के पश्चात उन्होंने उसे तत्काल सीलबंद किया था। डॉ. जे.एन. शुक्ला की रिपोर्ट (प्रदर्श पी–16) से भी यह स्पष्ट नहीं होता कि उन्हें पुलिस थाना सारंगढ़ से लोहे की बिंधना सीलबंद अवस्था में परीक्षण हेतु प्राप्त जमा था न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट (प्रदर्श पी–30) यह दर्शाती है कि अपिलार्थी महेश से जब्त की गई लोहे की बिंधना, टेरीकॉट की फुल शर्ट, फटी हुई लुंगी तथा अपिलार्थी दौलतराम से जब्त की गई काली हाफ पैंट एवं हीरा पन्ना

ब्रांड की हाफ बनियान दिनांक 01–08–1999 के पत्र के माध्यम से न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजी गई थीं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ये वस्तुएँ लगभग एक सप्ताह तक पुलिस के पास खुली अवस्था में पड़ी थीं। इस अवधि के दौरान इन वस्तुओं पर रक्त सदृश धब्बों के कृत्रिम रूप से लगाए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसे साक्ष्य के अभाव में कि उपरोक्त वस्तुओं को जब्त करने के तुरंत पश्चात सीलबंद किया गया था तथा डॉक्टर को परीक्षण हेतु सीलबंद अवस्था में भेजा गया था, इन वस्तुओं पर प्रदर्श पी–30 के अनुसार एफ.एस.एल. द्वारा पुष्टि किए गए रक्त के धब्बों का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता।

11. इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष सारिम विज्ञान की रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहा है। अतः यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें सारिम विज्ञान ने रक्त धब्बों की जाँच के पश्चात यह राय दी हो कि रक्त धब्बों का स्रोत निर्धारित नहीं किया जा सका क्योंकि वे विघटित हो गए थे। सारिम विज्ञान की रिपोर्ट के अभाव में न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट अभियोजन पक्ष की सहायता नहीं करते *मध्यप्रदेश राज्य बनाम कृपाराम,* (2003) 12 एस.सी.सी. 675 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अधिनिर्णित किया है कि जब तक अपराध में प्रयुक्त आयुध एवं अपिलार्थी के कपड़ों पर पाए गए रक्त का स्रोत स्पष्ट करने वाली सारिम विज्ञान की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती, तब तक वह साक्ष्य अभियोजन पक्ष के लिए सहायक नहीं हो सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. अतः अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि दिनांक 22.07.1990 को अभियुक्तों से प्रतिलिपि प्रदर्श पी 6, 7 एवं 8 के तहत जब्त की गई वस्तुओं पर मानव रक्त विद्यमान था। अत्यंत आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि उप–निरीक्षक मुकेश खरे (अ.सा.16) के साक्ष्य में ऐसा कोई भी सामग्री या तथ्य नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो कि अभियुक्त दौलतराम द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट को मिथ्या थी उप–निरीक्षक मुकेश खरे दिनांक 20.07.1990 से ग्राम टेंगनापाली में शिविर लगाए हुए थे। अपिलार्थी दौलतराम द्वारा उसी दिन प्रातः 7:35 बजे त्वरित रूप से प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी थी। उप–निरीक्षक मुकेश खरे (अ.सा.16) दिनांक 20.07.1990 को घटना स्थल पर गए थे, पंचनामा तैयार किया था तथा भुखीराम का शव शव परीक्षण हेतु भिजवाया था। अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि संदेह की सूई अचानक अपिलार्थी दौलतराम एवं उसके पुत्र महेश की ओर कैसे घूम गई। डॉ. जे.एन. शुक्ला के साक्षी के पैरा 10 से यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने यह राय दी कि भुखीराम करीत चोटें वस्तु 'क' बिंधना के धारदार हिस्से से उत्पन्न नहीं आ सकती थीं। तत्क्षण उन्होंने यह भी दोहराया कि भुखीराम करीत चोटें वस्तु 'क' बिंधना से उत्पन्न नहीं आ सकती थीं।

13. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात हमें यह प्रतीत होता है कि प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्य अपिलार्थी की निर्दोषता की संभावना के साथ पूर्णतः असंगत नहीं हैं। परिस्थितियों की समस्त श्रृंखला पर समग्र रूप से विचार करने पर यह केवल अभियुक्तों के दोष सिद्ध होने की एकमात्र धारणा की ओर संकेत नहीं करती। उपरोक्त परिस्थितियों में हमारा सुविचारित राय है कि अभियुक्तगण संदेह का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

14. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत अपिलार्थी को दोषसिद्ध एवं दंडादेश को अपास्त किया

जाता है। अपिलार्थी को संदेह का लाभ प्रदान करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तों के जमानत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं एवं उनके बंध पत्र उन्मोचित किए जाते हैं ।

सही/–	सही/–
फखरुद्दीन	दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश	न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By: KHILENDRA SAHU, ADV.